25.02.2026

वादिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. बंसल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, श्री अशोक कुमार जैन सुहोत्र शर्मा व श्री शिवस्वरूप माथुर उपस्थित। वादिया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 3 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का पेश किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अधिवक्तागण प्रतिवादीगण को उपलब्ध करवायी गयी, जिन्होंने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न कर सीधे मौखिक बहस का निवेदन किया।

वादिया की ओर से पेश किये गये प्रार्थना–पत्र में यह निवेदन किया गया है कि हस्तगत वाद में विवाद्यक संख्या 3 व 4 में निष्पादित वसीयतों को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादिया ने अपनी तरदीदी साक्ष्य सुरक्षित रखते हुये अपनी साक्ष्य समाप्त की है। प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गयी साक्ष्य का खण्डन करने के लिये वादिया रिबटल साक्ष्य पेश कर प्रतिवादीगण की साक्ष्य का खण्डन करना चाहती है, जिसकी उसको अनुमति दिये जाने से वाद का न्यायोचित न्याय निर्णयन के लिये आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण प्रतिवादीगण ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये कथन किया है कि प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिसकी वादिया को रिबटल साक्ष्य पेश की जानी आवश्यक हो, वरन उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र वाद को विलम्बित करने के आशय से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गयी साक्ष्य तथा गवाहों से की गयी जिरह में जो विरोधाभासी कथन वाद के न्याय निर्णयन के सम्बन्ध में आये हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए वादिया की ओर से जो रिबटल साक्ष्य पेश किये जाने बाबत कथन किये हैं, उन्हें स्वीकार किये जाने में वाद के किसी भी पक्षकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव कारित नहीं होगा, वरन वाद के उचित न्याय निर्णयन में सहायक होंगे। ऐसी स्थिति में वादिया की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र बाबत रिबटल साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का कॉस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण **1,000/–** रुपये की कॉस्ट पर इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी से पूर्व उक्त कॉस्ट की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर में जमा करवा कर रसीद न्यायालय में पेश करें तो वादिया को रिबटल साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्ते पेश होने कॉस्ट अदायगी रसीद/रिबटल साक्ष्य हेतु दिनांक 06.03.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।